



2026:AHC:46024

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 2656

राम रतन सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रुपेंद्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

शुद्धि पत्र आवेदन संख्या 2, वर्ष 2026 के संदर्भ में

1. इस शुद्धि पत्र आवेदन के माध्यम से, दिनांक 23.02.2026 के आदेश के पैराग्राफ-3 की तीसरी पंक्ति में संख्या '170' को हटाकर उसके स्थान पर '470' प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है।
2. तदनुसार, शुद्धि पत्र आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।